न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश मेहरा आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 19/2025 प्रार्थना पत्र धारा 6ए

सरकार जरिये हनुइन्द्र सिंह प्रवर्तन निरीक्षक भीलवाडा –प्रार्थी	बनाम	1. अनवर खां मेवाती वर्कशॉप मालिक जहाजपुर, कोटडी रोड कोटडी जिला भीलवाडा –विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थित –

1. विभागीय पेरोकार – प्रार्थी की ओर से
2. विपक्षी स्वयं उपस्थित।

न्यायालय अति. जि. कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

निर्णय

दिनांक 24.04.2025

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना–पत्र अतर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का विपक्षी के विरूद्ध प्रस्तुत कर यह निवेदन किया गया कि कोटडी जहाजपुर रोड स्थित अनवर खां मेवाती के वर्कशॉप व पन्चर की दुकान का औचक निरीक्षण किया गया। मौके पर अनवर खां दुकान पर उपस्थित मिले। मौके पर 02 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 01 रिफलिंग मशीन पायी गयी। विपक्षी से इस संबंध में कागजात के लिए पूछा गया तो उन्होनें कोई संतोषप्रद जवाब नही दिया। इस प्रकार आरोपी अनवर खां द्वारा घरेलू सिलेण्डर काएल.पी.जी. ऑर्डर 2000 के प्रावधानों का उल्लघंन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध किया गया हैं। अतः कार्यवाही संबंधी पत्रादि प्रस्तुत करते हुए निवेदन हैं कि जब्तशुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 01 रिफलिंग मशीन को राजसात किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 08.04.2025 को पंजीबद्व किया जाकर विपक्षी को वज़ह जाहिर हेतु नोटिस जारी किया गया। विपक्षी स्वयं उपस्थित। प्रकरण में उभयपक्षों की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया एवं कार्यवाही संबंधी पत्रादि के संदर्भ में निवेदन किया कि निरीक्षण के दौरान आरोपी अनवर खां द्वारा घरेलू सिलेण्डर का एल.पी.जी. ऑर्डर 2000 के प्रावधानों का उल्लघंन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध किया गया हैं। अतः कार्यवाही संबंधी पत्रादि प्रस्तुत करते हुए निवेदन हैं कि जब्तशुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 01 रिफलिंग मशीन को राजसात किये जाने का आदेश फरमावें।

विपक्षी ने अपनी बहस में बताया कि प्रथम गलती मानते हुये माफी प्रदान करें। विपक्षी के विरूद्व प्रकरण की कार्यवाही समाप्त की जावे।

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । पत्रावली में उपलब्ध दस्तवेजात एवं विपक्षी द्वारा स्वयं पर्चा मौका (फर्द जब्ती) पर हस्ताक्षर किये एवं घरेलू गैस का अन्य कार्य किये जाने का जुर्म स्वीकार किया। इस प्रकार विपक्षी द्वारा अवैध एवं अनाधिकृत रूप से घरेलू गैस का अन्य रूप से कार्य किया जाकर एल.पी.जी. आर्डर 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध किया जाना सिद्ध होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जब्त सरकार किये गये जब्तशुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 01 रिफलिंग मशीन को राजसात किया जाना युक्तियुक्त है। अतएव –

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है एवं जब्त सरकार किये गये जब्तशुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 01 रिफलिंग मशीन को राजसात किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी भीलवाडा को प्रेषित की जावे। जिला रसद अधिकारी भीलवाडा उक्त जब्तशुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 01 रिफलिंग मशीन का अन्तिम निस्तारण कर जरिये निलामी (बाजार दर से कम नही होना चाहिये) राशि राजकोष में जमा करा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।

निर्णय आज दिनांक 24.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश मेहरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा